6.(क) मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत 4 महीने के अवकाश लेखे से न घटाये जाने वाले औसत वेतन के अवकाश के अतिरिक्त अधिकतम अवकाश की अवधि जो मूल नियम 83 (7) (ख) या मूल नियम 8 (ख) या दोनों के अन्तर्गत की जा सकती है केवल 8 महीने हो सकती है। यह निष्कर्ष मूल नियम 83 (7) (ख) से निकलता है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के औसत वेतन के बराबर अवकाश वेतन दे दिया जाता है, जो ऐसी अवधि से अधिक न हो जो उस औसत वेतन के अवकाश के रूप में अन्यथा होती। मूल नियम 81 (ख) के अन्तर्गत यह अवधि 4 महीने *** तक सीमित है। *** जिसको कुछ परिस्थितियों में 4 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। *** औसत वेतन पर 8 महीने का अवकाश, यदि मूल नियम 81 (ख) के अन्तर्गत देय हो, और सारा मूल नियम 81 (7) (ख) के अन्तर्गत लिया जाये, तो पहले वाले नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत औसत वेतन पर, और आगे कोई अवकाश नहीं लिया जा सकता। अतएव सरकारी कर्मचारी को औसत वेतन पर जो कुल अवकाश दिया जा सकता है वह केवल 12 महीने हैं— अर्थात् 4 महीने मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत और 8 महीने मूल नियम 83 (7) (ख) या मूल नियम 81 (ख) या दोनों के अन्तर्गत।

(ख) मूल नियम 83 (4) के अन्तर्गत विशेष विकलांगता अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को सम्मिलित किया जा सकता है। विशेष विकलांगता अवकाश को अवधियों के बीच में साधारण अवकाश के लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत लिये जाने वाले विशेष विकलांगता अवकाश को छोड़कर औसत वेतन की जो सीमायें मूल नियम 81 (ख) में दी गई हैं उससे और अधिक न होने पावे। मूल नियम 83 (4) के विस्तार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि मूल नियम 81 (ख) में स्पष्ट निर्देश है कि अधिकतम की गणना करने में मूल नियम 83 (7) (क) के अन्तर्गत लिये गये अवकाश के लिये अतिरिक्त औसत वेतन पर लिये गये अन्य अवकाश को नहीं निकाला जाना चाहिए।

81-क. [* * *]

81-ख. एशिया से बाहर अधिवास करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें विदेशों में विशेष रूप से भर्ती किया जाय तथा जो छुट्टी के विषय में ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जिन्हें सरकार प्रत्येक मामले में नियत करे, निम्नलिखित छुट्टी के नियम नीचे दिये गये व्यक्तियों पर लागू होंगे:

(क) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1966 को या उसके बाद सरकारी सेवा में प्रविष्ट हों, और स्थायी पद पर धारणाधिकार रखते हों अथवा यदि उनका धारणाधिकार निलम्बित न किया गया होता तो उस पद पर धारणाधिकार रखते:

(ख) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1966 के पहले भर्ती किये गये हों और जिस पर उक्त दिनांक को मूल नियम 81-ख लागू होता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि 1 अप्रैल, 1966 को उनके नाम जमा अर्जित छुट्टी बनी रहेगी और उक्त दिनांक से इस नियम के उपनियम के उपनियम (1) के अधीन अतिरिक्त छुट्टी अर्जित करेंगे;

(ग) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1936 से पूर्व भर्ती किये गये हों और जिन पर मूल नियम 81 लागू होता हो और जो लिखित रूप में इन नियमों के अन्तर्गत आने का चुनाव करें और इस आशय की विशिष्ट घोषणा सरकार को करें। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि;

(i) ऊपर अभिदिष्ट विकल्प का प्रयोग करने के दिनांक को ऐसे सरकारी कर्मचारी के नाम जमा औसत वेतन पर शेष छुट्टी व्यपगत नहीं होगी। वह पहले एक सौ अस्सी दिन

से अधिक की ऐसी समस्त छुट्टी को समाप्त करेगा और जब ऐसी छुट्टी का बकाया इस अवधि से कम हो जाय, तब वह इस नियमावली के अधीन छुट्टी अर्जित करना आरम्भ कर देगा।

(ii) मूल नियम 81 के खन्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर पहले ली जा चुकी छुट्टी, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर स्वीकृत की जाने योग्य बारह महीने की छुट्टी की अधिकतम सीमा से काट ली जायेगी।

(iii) मूल नियम 81 के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन भारत, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, वर्मा अथवा अदन के अलावा कहीं अन्य स्थान पर बिताई गई चार माह से अधिक की औसत वेतन पर छुट्टी के दिनों की संख्या इस नियम के उप नियम (3) के अधीन निजी कार्य के लिये आधे औसत वेतन पर स्वीकृत की जाने योग्य 365 दिनों की छुट्टी की अधिकतम सीमा से काट ली जायेगी; किन्तु यदि कुल छुट्टी 365 दिन से अधिक हो जाय तो निजी कार्य पर कोई और छुट्टी अर्जित नहीं की जायेगी।

(1) [1][**अर्जित अवकाश**—राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में अर्जित अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(एक) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दो छमाही किश्तों में इकतीस दिन का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को सोलह दिन का अर्जित अवकाश और पहली जुलाई को पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(दो) वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर सरकारी सेवा के लेखे में जमा अर्जित अवकाश वर्ष की अगली छमाही में इस शर्त के अधीन रहते हुये अग्रेनीत किया जायेगा कि इस प्रकार अग्रेनीत अवकाश तथा अगली छमाही को जमा अवकाश 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जिसे एक जनवरी उन्नीस सौ सत्तासी से बढ़ाकर दो सौ चालीस दिन कर दिया गया है।

1 जनवरी, 1978 को या उसके पश्चात् किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, उसके अवकाश लेखे में प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास की सेवा के लिये, जो उससे उस कैलेण्डर वर्ष की छमाही में की जानी प्रत्याशित है जिसमें वह नियुक्त किया गया है 2-1/2 (ढाई) दिन प्रति मास की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जायेगा।

(तीन) जब कुल अर्जित अवकाश दो सौ चालीस दिन हो जाय तब सरकारी सेवक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

टिप्पणी—एक सौ अस्सी दिन की सीमा को 1 जनवरी, 1987 से बढ़ाकर 240 दिन कर दिया गया।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) के अधीन जमा किये गये अर्जित अवकाश में से पिछली छमाही के दौरान उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि के दसवें भाग तक पन्द्रह दिन की अधिकतम सीमा के अधीन, कम कर दिया जायेगा।

(पाँच) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जो किसी विशिष्ट छमाही में सेवा-निवृत्त हो जाने, त्याग-पत्र दे देने, मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवक न रह जाए, अर्जित अवकाश उस दिनांक तक, जब वह सरकारी सेवक न रह जाए प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के

---

1. अधिसूचना सं० 4 सा-4-1071/दस 1992-20-1-76 दिनांक 21-12-1992 जो कि उ० प्र० गजट भाग 1-खण्ड (क) दि० 5-3-1994 को प्रकाशित हुआ।

लिये 2-1/2 (ढाई) दिन की दर पर जमा किया जायेगा ऐसे मामलों में उस विशिष्टि छमाही के प्रारम्भ से उस दिनांक तक जब वह सरकारी सेवक न रह जाए, उपभोग किये गये असाधारण अवकाश के कारण कटौती उस विशिष्ट छमाही के लिये उसके अवकाश लेखे में जमा किये गये अर्जित अवकाश से की जायेगी, यदि पहले से उपभोग किया गया अर्जित अवकाश इस प्रकार उसे देय जमा अवकाश से अधिक हो तो अधिक आहरित किये गये अवकाश वेतन, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजन किया जायेगा। अतएव उस मास के सम्बन्ध में जिसमें वह सरकारी सेवक न रह जाये, सम्बन्धित सरकारी सेवक को कोई अवकाश वेतन और या वेतन का कोई भुगतान करने के पूर्व समक्ष प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसे इस प्रकार देय जमा अवकाश से अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है और अवकाश वेतन का अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

(छह) अर्जित अवकाश जमा करते समय एक दिन के भाग को निकटतम दिन पर पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

(सात) यदि कोई सरकारी सेवक किसी छमाही के अन्तिम दिन को अवकाश पर हो तो वह कैलेण्डर वर्ष की आने वाली छमाही के प्रथम दिन को अपने अवकाश लेखे में जमा किये जाने वाले अर्जित अवकाश का उपभोग, इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये, करने का हकदार होगा कि अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकारी सेवक अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौट आवेगा।

(आठ) अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे, जैसे कि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थे बन्द कर दिये जाएंगे और 31 दिसम्बर, 1977 को उनके लेखे में जमा अर्जित अवकाश उनके नये अवकाश लेखे में, जिसे इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 11-घ में रखा जायेगा, अग्रनीत किया जायेगा।

(नौ) सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ सरकारी सेवक के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अर्जित अवकाश स्वीकृत करने वाले आदेश में, उस समय सम्बन्धित सरकारी सेवक के लेखे में जमा अर्जित अवकाश का अतिशेष इंगित किया जायेगा।

(दस) फण्डामेण्टल रूल्स 67 और 86-ए के उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

(क) किसी सरकारी सेवक को एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अर्जित अवकाश की अधिकतम अवधि यदि वह भारतवर्ष में बितायी जाय, एक सौ बीस दिन होगी।

(ख) उसे 120 दिन की अवधि से अधिक, किन्तु 180 दिन से अनधिक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि इस प्रकार स्वीकृत सम्पूर्ण अवकाश या उसका कोई भाग विदेश में बिताया जाए, किन्तु भारत में बिताये गये ऐसे अवकाश की कुल अवधि 120 दिन की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ग्यारह) किसी दीर्घावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक की स्थिति में—

(क) उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश की अवधि को ड्यूटी के प्रत्येक वर्ष के लिये जिसमें वह पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करता है, तीस दिन तक कम कर दी जायेगी।

(ख) यदि उसे सरकारी कार्य के कारण किसी वर्ष में पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने से, जैसा के सब्सीडियरी रूल्स 145 और 146 में व्यवस्थित है रोक दिया जाता है, जो उसे अनुमन्य अर्जित अवकाश को 30 दिन के उस भाग तक कम कर दिया जायेगा, तो उस अनुपात के बराबर हो जो उपभोग किये गये दीर्घावकाश के भाग का दीर्घावकाश की पूर्ण अवधि से है।

(ग) यदि कि... ...वह सब्सीडियरी रूल्स 145 और 146 के निबन्धों के अनुसार दीर्घावकाश का उ...भोग नहीं करता तो उसके अनुमन्य अर्जित अवकाश को कम नहीं किया जायेगा।

(घ) दीर्घावकाश को इस नियमावली के अधीन किसी प्रकार के अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जा सकता है, बशर्ते कि दीर्घावकाश अर्जित अवकाश की जो अन्य अवकाश के साथ या उसके क्रम में लिया जाय या नहीं, कुल अवधि इस नियम के खण्ड (दो) के अधीन एक बार में उसको अनुमन्य अर्जित अवकाश से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि जब वह उच्चतर प्राविधिक अर्हतायें प्राप्त करने के लिये लिया जाय, तब उसकी सीमा दो सौ सत्तर दिन होगी।

(बारह) किसी सरकारी सेवक को उसके लेखे में जमा अर्जित अवकाश के भाग को अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा दी जा सकती है और उसे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसार उसके बदले में नकद भुगतान किया जा सकता है।

(2) चिकित्सा प्रमाण-पत्र छुट्टी—(क) किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिस पर यह नियमावली लागू होती है, उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल बारह महीने तक छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। ऐसी छुट्टी केवल ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी जिसे राज्यपाल सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें और उसकी अवधि उक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई अवधि से अधिक नहीं होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जब बारह महीने की अधिकतम अवधि समाप्त हो जाय तो आपवादिक मामले में चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशों पर सम्पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल मिलाकर छः मास तक की ओर छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जिनमें सरकारी कर्मचारी ने इस नियमावली के उन पर लागू होने के दिनांक के पूर्व यथास्थिति मूल नियम 81-ख और सहायक नियम 157 अथवा 157-क के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी ले ली हो तो यथास्थिति मूल नियम 81-ख और सहायक नियम 157-क के अधीन ली गई ऐसी छुट्टी की अवधि और सहायक नियम के 157 के अधीन ली गयी उक्त छुट्टी की आधी अवधि की गणना उसे इस नियम के अधीन छुट्टी का हिसाब लगाने में की जायेगी।

(ख) इस नियम के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा। सब्सीडियरी नियम-87 भी देखें।

[1][**3.निजी कार्यों पर अवकाश**—ऐसे सरकारी सेवक को, जिस पर ये नियम लागू होते हैं उसको सम्पूर्ण सेवा के दौरान निजी कार्यों पर कुल तीन सौ पैंसठ दिन से अनधिक का अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(एक) वह प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में इकतीस दिन का निजी कार्य पर अवकाश का हकदार होगा, राज्य में सेवारत सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में निजी कार्य पर अवकाश की संगणना करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया 1 जुलाई, 1979 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

---

1. अधिसूचना सं० 4 सा-4-1071/दस 1992-20-1-76 दिनांक 21-12-1992 जो कि उ० प्र० गजट भाग 11915 (क) दि० 5-3-1994 को प्रकाशित हुआ।